प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-88/2025 दिनांक 29.03.2025)
दिनांक-29.03.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

पुलिस मुठभेड़ में एक पशु तस्कर/गौकश घायल/गिरफ्तार, अवैध तमन्चा मय कारतूस एवं चोरी की एक अदद मोटरसाईकिल बरामद-

जनपद कुशीनगर में अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन एवं पुलिस उप-महानिरीक्षक गोरखपुर रेंज के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.03.2025 को थाना कुबेरस्थान क्षेत्रान्तर्गत एक पशु तस्कर/गौकश की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल योजना बनाते हुए पुलिस टीमों का गठन किया गया जिसमें थाना कुबेरस्थान, थाना कोतवाली पडरौना, थाना रविन्द्रनगर धूस व साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना कुबेस्थान क्षेत्रान्तर्गत सेमरा हरदो कठकुइयां ढाला रोड के पास घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल आते दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा लक्ष्य साधकर पुलिस टीम पर जान मारने की नियत से फायर किया गया। जवाबी प्रतिरक्षा में पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गयी, जिसमें अभियुक्त घायल हो गया जिसकी पहचान मनौव्वर पुत्र गुलाब हुसैन निवासी बसहिया बनवीरपुर थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर के रुप में हुई जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से उसके कब्जे से एक अदद अवैध तमन्चा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल, एक अदद लकड़ी का ठीहा, एक अदद चाकू, एक अदद रस्सी तथा घटना में प्रयुक्त एक अदद मोबाइल फोन व 720/- रुपये नगद बरामद किया गया है। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त को दवा ईलाज हेतु पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेजा गया है। बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-75/2025 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण

Edit with WPS Office

अधिनियम एवं धारा 109,111(2), 317(5), 325 बीएनएस एवं 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त-
मनौव्वर पुत्र गुलाब हुसैन निवासी बसहिया बनवीरपुर थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

विवरण बरामदगी:-
1.एक अदद अवैध तमन्चा .315 बोर
2.दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर,
3.एक अदद खोखा कारतूस,
4.एक अदद मोटरसाइकिल,
5.एक अदद लकड़ी का ठीहा,
6.एक अदद चाकू,
7.एक अदद रस्सी
8.एक अदद मोबाइल फोन व 720/- रुपये नगद।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-
1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज पंत साइबर सेल जनपद कुशीनगर
2-प्रभारी निरीक्षक श्री रवि राय थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर मय टीम
3-थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर मय टीम
4-थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्रा थाना रवींद्रनगर धूस जनपद कुशीनगर मय टीम।

पुलिस मुठभेड़ में एक पशु तस्कर घायल/गिरफ्तार, एक अन्य सहित दो पशु तस्कर गिरफ्तार, एक पिकप वाहन से वध हेतु तस्करी कर ले जायी जा रही 05 राशि गौवंश व 02 अवैध तमन्चा मय कारतूस,लकड़ी का ठीहा आदि बरामद-

जनपद कुशीनगर में अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन एवं पुलिस उप-महानिरीक्षक गोरखपुर रेंज के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.03.2025 को थाना कसया क्षेत्र में कुछ पशु तस्करों/गौकश के होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल योजना बनाते हुए पुलिस टीमों का गठन किया गया जिसमें थाना

Edit with WPS Office

कसया, थाना कोतवाली हाटा, थाना तरयासुजान, थाना तमकुहीराज एवं थाना पटहेरवा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना कसया क्षेत्रान्तर्गत हिरण्यपुर कट के पास घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक पिकप वाहन आते दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन में सवार व्यक्ति द्वारा लक्ष्य साधकर पुलिस टीम पर जान मारने की नियत से फायर किया गया। जवाबी प्रतिरक्षा में पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गयी, जिसमें अभियुक्त एक घायल हो गया जिसकी पहचान बाबूद्दीन पुत्र साबिर निवासी ग्राम नरहवा थाना गोपालपुर जिला गोपालगंज बिहार के रुप में हुई है तथा उसका एक अन्य साथी तबरेज पुत्र हारून साकिन कंचनपुर थाना तरकुलवा जनपद देवरिया को भी मौके से गिरफ्तार किया गया। मौके / कब्जे से दो अदद अवैध तमन्चा .315 बोर,तीन अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर, एक अदद लकड़ी का ठीहा, एक अदद बांका, एक अदद रस्सी, एक अदद पिकप वाहन महेन्द्रा बोलेरो बिना नम्बर, कुल 8,170/- रुपये नगद व दो अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया है। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त को दवा ईलाज हेतु पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेजा गया है। बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरण-
अभियुक्तों का एक संगठित गिरोह है। जो गोवंशींय पशुओं को वाहन पर क्रुरतापूर्वक लाद कर वध हेतु बिहार ले जाते है। गौकशी कर अवैध धन अर्जित करते है। जिसे आपस में बाट लेते है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 188/2025 धारा 3/5ए/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 109 बीएनएस एवं 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना कसया जनपद कुशीनगर।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त-
1-बाबूद्दीन पुत्र साबिर निवासी ग्राम नरहवा थाना गोपालपुर जिला गोपालगंज बिहार (घायल)
2- तबरेज पुत्र हारून साकिन कंचनपुर थाना तरकुलवा जनपद देवरिया (गिरफ्तार)

विवरण बरामदगी:-
1.दो अदद अवैध तमन्चा .315 बोर
2.तीन अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर,

Edit with WPS Office

3.एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर,
4.एक अदद लकड़ी का ठीहा,
5.एक अदद बांका,
6.एक अदद रस्सी
7- एक अदद पिकप वाहन महेन्द्रा बोलेरो बिना नम्बर
8-कुल 8,170/- रुपये नगद ।
9-दो अदद मोबाइल फोन ।
10-पाँच राशि गोवंश

1-अभियुक्त बाबूद्दीन पुत्र साबिर निवासी ग्राम नरहवा थाना गोपालपुर जिला गोपालगंज बिहार का अपराधिक इतिहास-
मु0अ0सं0 08/25 धारा धारा 3/5ए/5बी/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर (अभियुक्त बाबूद्दीन उपरोक्त वांछित)

अभियुक्त तबरेज पुत्र हारून साकिन कंचनपुर थाना तरकुलवा जनपद देवरिया का अपराधिक इतिहास-
1.मु0अ0सं0 148/19 धारा 147,148,149,323,504,506,452 भादवि थाना तरकुलवा जनपद देवरिया
2.मु0अ0सं0 226/23 धारा 354,323,452,504,506 भादवि थाना तरकुलवा जनपद देवरिया
3.मु0अ0सं0 निल/24 धारा 3/4 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 थाना तरकुलवा जनपद देवरिया
4.मु0अ0सं0 148/23 धारा 3/5ए/5बी/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
5.मु0अ0सं0 122/25 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर (अभियुक्त तबरेज उपरोक्त वांछित)

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-
1-प्रभारी निरीक्षक श्री ओम प्रकाश तिवारी थाना कसया जनपद कुशीनगर मय टीम
2-प्रभारी निरीक्षक श्री सुशील कुमार शुक्ला थाना हाटा जनपद कुशीनगर मय टीम
3- प्रभारी निरीक्षक श्री राज प्रकाश सिंह थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर मय टीम
4- प्रभारी निरीक्षक श्री अमित शर्मा थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर मय टीम
5- थानाध्यक्ष श्री दीपक सिंह थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर मय टीम

Edit with WPS Office

थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा अलग अलग मामलों में दो नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.03.2025 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 277/2015 धारा 427/354 भादवि व 11/12 पाक्सो एक्ट से संबन्धित वारंटी अभियुक्त किशोरी प्रसाद पुत्र कृष्णा प्रसाद निवासी नरचोचवा नौका टोला थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर तथा मु0नं0 23598/2024 धारा 323/504/506 भादवि से संबन्धित वारंटी अभियुक्त किशन पुत्र रामजी निवासी बलकुड़िया थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
1-मु0अ0सं0 277/2015 धारा 427/354 भादवि व 11/12 पाक्सो एक्ट थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
2- मु0नं0 23598/2024 धारा 323/504/506 भादवि थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
1-किशोरी प्रसाद पुत्र कृष्णा प्रसाद निवासी नरचोचवा नौका टोला थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
2- किशन पुत्र रामजी निवासी बलकुड़िया थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-
1-प्रभारी निरीक्षक श्री रामसहाय चौहान थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
2-उ0नि0 विश्वजीत कुमार थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
3-का0 राहुल सिंह यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
4-का0 ओमप्रकाश यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर

थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा हत्या आदि के मुकदमे में एक नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 28.03.2025 को थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 101/2025 धारा 103(1)/351(3)

Edit with WPS Office

बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त ब्रजभूषण दूबे उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 सुरेन्द्र दूबे साकिन बसन्तपुर थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को मय एक अदद आला कत्ल चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 101/2025 धारा 103(1)/351(3) बी0एन0एस0 व 4/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-
ब्रजभूषण दूबे उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 सुरेन्द्र दूबे साकिन बसन्तपुर थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

बरामदगी विवरण-
01 अदद आला कत्ल चाकू

गिरफ्तार करने वाले टीम-
1. थानाध्यक्ष दिनेश कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 जुगेश कुमार आनन्द थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
3. कां0 विजय यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
4. कां0 अनिल यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

पुलिस हिरासत से फरार होने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 17.03.2025 को मा0 परिवार न्यायालय द्वारा पति-पत्नी के विवाद में पति द्वारा पत्नी को भरण-पोषण न दिये जाने के कारण जारी वारण्ट से संबंधित वारण्टी अनिरुद्ध पुत्र लालजी सिंह साकिन अनन्तपुर थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर मेडिकल परीक्षण कराने हेतु सीएचसी देवतहा सुकरौली जनपद कुशीनगर ले जाया गया था, जहां से वारण्टी अनिरुद्ध शौच करने का बहाना बनाकर साथ में रहे पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। जिसके संबंध में थाना कोतवाली हाटा पर मु0अ0सं0 169/2025 धारा 261/262 बी0एन0एस0 में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस टीमे लगयी गयी थी। आज दिनांक 29.03.2025 को थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा अभियुक्त अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

Edit with WPS Office

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 169/2025 धारा 261/262 बी0एन0एस0 थाना कोतवाली हाटा कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-
अनिरूद्ध सिंह पुत्र लालजी सिंह साकिन अनन्तपुर थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाले टीम-
1. थानाध्यक्ष दिनेश कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 जुगेश कुमार आनन्द थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
3. हे0कां0 रामनिवास भार्गव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
4. कां0विजय यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

थाना जटहाँ बाजार पुलिस द्वारा 02.60 कि0ग्रा0 अवैध गांजा (कीमत लगभग 50 हजार रुपये) के साथ दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अवैध मादक/द्रव्य पदार्थों के बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.03.2025 को थाना जटहां बाजार पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु चेकिंग के दौरान 02.60 कि0ग्रा0 अवैध गांजा ले जाते हुये दो अभियुक्तों 1-सर्वेन्दर साहनी पुत्र रघुनाथ साहनी निवासी मुसहरी भगवान पांडे का टोला थाना धनहा जनपद पश्चिमी चम्पारण(बिहार) 2-अंगेश ठाकुर पुत्र रामेश्वर ठाकुर निवासी मुसहरी कुटी टोला थाना धनहा जनपद पश्चिमी चम्पारण(बिहार) को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 057/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 057/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
1. सर्वेन्दर साहनी पुत्र रघुनाथ साहनी निवासी मुसहरी भगवान पांडे का टोला थाना धनहा जनपद पश्चिमी चम्पारण (बिहार)
2. अंगेश ठाकुर पुत्र रामेश्वर ठाकुर निवासी मुसहरी कुटी टोला थाना

Edit with WPS Office

धनहा जनपद पश्चिमी चम्पारण (बिहार)

बरामदगी का विवरण-
कुल 02.60 कि0ग्रा0 अवैध गांजा (कीमत लगभग 50 हजार रुपये)

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-
1. थानाध्यक्ष श्री मनोज कुमार वर्मा थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 देवब्रत यादव थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
3. कां0 विनय कुमार यादव थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
4. कां0 शेरबहादुर सिंह थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
5. कां0 विनय कुमार थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-
जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 18 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=
1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-61 वाहन
2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-56, व्यक्ति-189
3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(09)
4- जनपद में कुल गिरफ्तारी–(कुल-27)

सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office